

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2014

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-सं0नि0(उ0शि0)/78/2013-14, दिनांक 06.01.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

नाम/पद	महाविद्यालय/ तैनाती स्थल	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित/ महाविद्यालय
डा0 शिव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,	पी0सी0 बागला महाविद्यालय, हाथरस	श्री वर्षेय महाविद्यालय, अलीगढ़

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:-25/36 (1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।

निदेश
18/07/14